भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR AL 338559

कोषागार पदाधिकारी
वैशाली
13 SEP 2021

Ram Sorekh Singh, Stamp Vendor
L.No 140/91
Registry Office, Hajipur

<u>एकरारनामा</u>

1. प्रथम पक्ष :- श्रीमती प्रतिभा सिंह, पति-स्व0 रामायण प्रसाद सिंह सा0-घोसवर, पो0-रजौली, थाना-सदर हाजीपुर, जिला-वैशाली।

2. द्वितीय पक्ष :- प्रतिभा विकास केन्द्र घोसवर सचिव अल्पना देवी पति-संदीप कुमार सा0-घोसवर, पो0-रजौली, थाना-सदर, जिला-वैशाली।

3. सम्पति का विवरण:-खाता नं0-183, खेसरा नं0-1183 एवं 1190 कुल रकवा-9 कटठा मौजा घोसवर, थाना-सदर हाजीपुर, जिला-वैशाली में स्थित।

4. लीज की अवधि:- 29 वर्ष दिनांक-01.04.2021 से

5. किराया का राशि:- अग्रिम 50000/- रू0 एवं 30000/- रू0 प्रति महीना

लीज की शर्तें:-

1. यह कि उपरोक्त जमीन प्रथम पक्ष की मौरूसी जमीन है।

2. यह कि प्रथम पक्ष कण्डिका 3 में वर्णित जमीन द्वितीय पक्ष को स्वेच्छा से वो बिना किसी जोर दबाव के लीज पर दे रहे हैं।

3. यह कि द्वतीय पक्ष उपरोक्त जमीन में **स्वामी विवेकानन्द शिक्षा निकेतन** नाम से विद्यालय चला रहे हैं।

4. यह कि उक्त जमीन पर द्वितीय पक्ष अपनी सुविधा के अनुसार विद्यालय संचालन हेतु मकान का निर्माण करेंगे जिसकी देखभाल की सारी जवाबदेही द्वितीय पक्ष की होगी तथा बिजली का कनेक्सन द्वितीय पक्ष अपने नाम से लेंगे तथा बिजली बिल का भुगतान द्वितीय पक्ष स्वयं करेंगे।

5. यह कि मासिक किराया का भुगतान द्वितीय पक्ष अंग्रेजी कैलेन्डर के अनुसार महीना के 10 तारीख तक प्रथम पक्ष को अदा कर देंगे तथा अग्रिम राशि प्रथम पक्ष के यहाँ जमा रहेगा।

6. यह कि प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को विद्यालय संचालन में किसी भी प्रकार का कोई दखलअन्दाजी नही करेंगे कि द्वितीय पक्ष अपने विवेक से स्वतंत्र रूप से उपरोक्त लीज वाली जमीन का उपयोग विद्यालय संचालन हेतु करेंगे।

7. यह कि लीज की अवधि में द्वितीय पक्ष किसी अन्य व्यक्ति को उक्त जमीन लीज पर नही देंगे।

8. यह कि लीज की अवधि समाप्त होने पर द्वितीय पक्ष पुनः प्रथम पक्ष से आवश्यकतानुसार लीज की शर्ते में बदलाव के साथ पुनः लीज के कागजात बना लेंगे।

9. यह कि उभय पक्ष लीज की शर्तो को पढ़ वो समझकर अपना-अपना हस्ताक्षर बना दिया कि भविष्य में वक्त पर काम आवे।

प्रतिमा सिंह	अलपना देवी	समरजीत कु० सिंह
ह० प्रथम पक्ष	**ह० द्वितीय पक्ष**	**ह० गवाह**